اتراکھنڈ وقف بورڈ

उत्तराखण्ड़ वक़्फ बोर्ड

टेलीफैक्स: 0135-2782046
ई-मेल:ceouk@wakf.gov.in

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-502/उ०व०बो० दिनांक-2-08-2016

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

विषयः- **वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 4 के तहत उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में सचिव, राजस्व/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त महोदय के कार्यालय कक्ष में दिनांक 29.06.2016 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 4 के तहत कराये जाने के सम्बन्ध में सचिव, राजस्व/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय कक्ष में दिनांक 29.06.2016 को आहूत बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून को जनपदवार समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड/पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्तों को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों की सूची, वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 4 की प्रति वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 4 की प्रति, वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण हेतु निर्धारित नमूना प्रारूप की प्रति तथा वक्फ निशिचित किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त की ओर से जारी किये जाने वाले आदेश के नमूना प्रारूप की प्रतियाँ पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उपरोक्त के अनुपालन में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में आपके जनपद में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों की सूची, वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 4 की प्रति, वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण हेतु निर्धारित नमूना प्रारूप की प्रति तथा वक्फ निशिचित किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त की ओर से जारी किये जाने वाले आदेश के नमूना प्रारूप की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सर्वप्रथम उक्त नमूना प्रारूप की प्रतियाँ आवश्यकतानुसार प्रिन्टिंग करते हुए अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने तथा प्रत्येक 15 दिनों में वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के कार्यों की प्रगति आख्या से सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, उत्तराखण्ड को अवगत कराने का कष्ट करें, वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/जानकारी मो0 9412051807/8923777802/989795534 पर प्राप्त की जा सकती है

भवदीय,

(अहमद अली)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संलग्नक-यथोक्त।

क्रमशः .... 02 पर

पृष्ठांकन संख्याः 502/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी जिला–नैनीताल।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन सहायक सर्वेक्षण आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(अहमद अली)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
4/8/2016

उत्तराखण्ड राज्य में वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त के कार्यालय कक्ष में दिनांक 29.06.2016 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

<u>उपस्थिति</u>

1. सुश्री सीमा विश्वकर्मा, एस0डी0एम0, चम्पावत।
2. श्री रतन सिंह रावल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी।
3. श्री सुरेन्द्र लाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली।
4. श्री बी0पी0 सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर।
5. श्री एस0एल0 पैन्युली, प्रशासनिक अधिकारी, जिला समाज कल्याण, उत्तरकाशी।
6. श्री सोहन सिंह रावत, रिकार्ड कीपर, वक्फ बोर्ड, उत्तराखण्ड।
7. श्री सुरेन्द्र लाल–।।, जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8. श्री जे0एस0 रावत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दे0दून।
9. श्री यशवन्त सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उधमसिंहनगर।
10. श्री राजीव नयन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा।
11. श्री अविनाश सिंह भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी।
12. श्री अहमद अली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वक्फ बोर्ड, देहरादून।

सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त के कार्यालय कक्ष में दिनांक 29.06.2016 को आहूत बैठक में श्री अहमद अली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 3 की उपधारा ट(1) के अन्तर्गत मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खानकाह, पीरखाना तथा करवला, मकबरा, कब्रिस्तान या किसी अन्य धार्मिक संस्था में इबादत करना या कोई धार्मिक कृत्य करने का अथवा वक्फ के अधीन संस्था जो मुस्लिम विधि द्वारा पूर्त माना गया हो का सर्वेक्षण वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों

के सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय लेखपाल/पटवारी, कानूनगो/राजस्व निरीक्षक से कराने के उपरान्त वक्फ निरीक्षक, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा भी उक्त वक्फ सम्पत्ति का निरीक्षण किया जायेगा तथा सर्वेक्षण पत्र पर अपनी आख्या प्रस्तुत की जायेगी। सम्बन्धित तहसीलदार एवं परगना अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त द्वारा वक्फ सम्पत्ति को निश्चित किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आदेश के उपरान्त अपंजीकृत उक्त वक्फों की पत्रावलियॉ वक्फ बोर्ड के माध्यम से सचिव, राजस्व/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को प्रेषित की जायेंगी तथा वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त के अंतिम निर्णय के उपरान्त उक्त वक्फ सम्पत्तियों की सूची गजट नोटिफिकेशन हेतु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेंगी। समस्त जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि **केवल अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का ही सर्वेक्षण करायेंगे।** उत्तराखण्ड **वक्फ बोर्ड में पूर्व से पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों** का **सर्वेक्षण कराये** जाने की पुनः **आवश्यक**ता नहीं है।

सर्वेक्षण प्रपत्र के साथ वक्फ सम्पत्ति नकल खतौनी, नकल खसरा व शजरा (नक्शा), **वक्फ सम्पत्ति की चौहद्दी (सीमाएं) भी संलग्न** किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्येक **वक्फ की पृथक–2 पत्रावली** बनाई जायेगी। इस कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त वक्फ सर्वे आयुक्त द्वारा यथाशीघ्र अपने–2 जनपदों में जनपद स्तर पर एक बैठक आहूत करायेंगे तथा सचिव, राजस्व/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशानुसार माह अगस्त, 2016 तक अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्ण कराया जाना है तथा प्रत्येक 15 दिनों में वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के कार्यों की प्रगति आख्या से सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को अवगत कराया जायेगा। सचिव, राजस्व/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा समय–2 पर इसकी समीक्षा Video Conference के माध्यम से भी की जायेगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, बोर्ड में पंजीकृत समस्त वक्फ सम्पत्तियों की सूची, वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 4 एवं सर्वेक्षण हेतु निर्धारित नमूना प्रारूप तथा वक्फ निश्चित किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश की प्रति का प्रारूप, जोकि पूर्ण रूप से भरा हुआ (उदाहरणार्थ) समस्त मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड को पंजीकृत डाक से उपलब्ध करायेंगे तथा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 8 के अन्तर्गत उक्त सम्पत्तियों के सर्वेक्षण में आने वाले व्यय–भार को शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

(कार्यवाही समस्त जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून)।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव, राजस्व/
वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त

संख्याः 330/XVIII(3)/7(5)/2016, तद्‌दिनांक 06 जुलाई 2016.

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त, उत्तरखण्ड।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव, राजस्व/
वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : /XVII-3/2016-04(06)/2016
देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में विद्यमान आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, **सचिव, राजस्व**, उत्तराखण्ड शासन को राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किए जाने के उद्देश्य से **पदेन 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त'** एवं अपने-अपने जनपदों की अधिकारिता के साथ समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड को **पदेन 'अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त'** तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल एवं प्रदेश के शेष जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को **पदेन 'सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त'** नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारी 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित करेंगे।

3. राज्यपाल अग्रेतर यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा उपधारा (3) से (5) के अधीन यथाप्रक्रिया राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्ण कर सर्वेक्षण आख्या एक माह से अनधिक अवधि में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या : 384 (1)/XVI(3)/2016 तद्दिनांक। 04/6/2016

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रमशः...